।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।।

पत्रांक २७।२ /12–1 गोपेश्वर, दिनांक फरवरी, ०1 ,2016।

सेवा में ,

अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
कर्णप्रयाग।

Proposal No. FP/UK/ROAD/9783/2015.

विषयः– **जनपद चमोली में कोटी बैन्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग एवं आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– **वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी का पत्रांक 3261/12–1 दिनांक 01–02–2016।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी उत्तराखण्ड़ द्वारा प्रस्ताव में संलग्न पत्र के अनुसार तीन आपत्तियां लगायी गयी है, जिनका निराकरण आप द्वारा किया जाना है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्लान हस्ताक्षर कर उपलब्ध करा दिया गया था परन्तु आप द्वारा पार्ट । के क्रम संख्या– 09 में बिना हस्ताक्षर वाला वृक्षारोपण प्लान संलग्न कर दिया गया है। दिनांक 11–01–2016 द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण में दोबारा संयुक्त निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया था। आप द्वारा बांज वृक्षों का पार्ट । क्रम संख्या– 15 में पुराना प्रपत्र ही अपलोड़ कर दिया गया जिसमें 26 वृक्ष दिखाये गये है, जबकि प्रस्ताव में वर्तमान में किये गये निरीक्षण में बांज वृक्षों की संख्या 120 है, इसे संशाधित करें। क्रम संख्या–14 में पुरानी वृक्षों की सूची अपलोड़ है, जिसे संशोधित कर नई सुची को अपलोड़ किया जाना है, जिसमें वृक्षों की मुल्यांकन सुची भी अपलोड़ करनी हैं।

अतः आप अपने स्तर से सभी क्रम संख्या–01 व क्रम संख्या–02 से सम्बन्धित सभी प्रपत्रों को पार्ट । में अपलोड़ करने के उपरान्त ही प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी, उत्तराखण्ड़, द्वारा किये जाने वाले स्थलीय निरीक्षण की तिथि की सूचना से आपको पृथक से वार्ता कर सूचित कर दिया जायेगा।

संलग्नः– **यथोपरि।**

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

E-Mail ID cfgarhwal555@Gmail.com
cfgarh-forest-uk@nic.in
Phone/Fex 01368-222566
वन मित्र कॉल सेंटर–9208008000

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 3261 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, ~~जनवरी,~~ 01/02/2016.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Proposal No.FP/UK/Road/9783/2015.

विषयः– **जनपद चमोली में कोटी बैन्ड से गथोरा मोटर मार्ग एवं आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

महोदय,

उक्त विषयक प्रस्ताव में निम्न कमियां पाई गई है:–

1. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर नहीं किये गये है।
2. प्रस्ताव के फार्म ए–पार्ट–2 में बांज वृक्षों की संख्या 120 अंकित की गई है, किन्तु फील्ड रिर्पोट में बांज वृक्षों के पातन के प्रमाण पत्र में बांज वृक्षों की संख्या 26 अंकित की गई है। इसे स्पष्ट कर संशोधित सूचना प्रेषित की जाय।
3. उक्त परियोजना में बांज वृक्ष प्रभावित होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरिक्षण किया जायेगा।

अतः उक्त निरिक्षण हेतु अधोहस्ताक्षरी से वार्ता कर स्थल निरिक्षण हेतु तिथि निर्धारित कर सूचित करें।

भवदीय,

(जी0सोनार)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,पौड़ी।

Surjeet